भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 4383

उत्‍तर देने की तारीख: 05.04.2018

**शिक्षा में अन्तर-राज्यीय असमानता**

**4383. श्री संजय सिंहः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को 14 से 18 वर्ष के आयु समूह के छात्रों में पढ़ने लिखने और अंकगणित हल कर पाने की योग्यता के मद्देनजर व्यापक अन्तर-राज्यीय असमानता की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को पढ़ने-लिखने की योग्यता के मद्देनजर 30-40 प्रतिशत अन्तर- राज्यीय असमानता की भी जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्कूलों और कॉलेजों में समरूप गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए विगत तीन वर्षों में, राज्य-वार, क्या-क्या उपाय किए गए हैं?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री उपेन्‍द्र कुशवाहा)**

(क) और (ख): सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्‍त और निजी स्‍कूलों से माध्‍यमिक स्‍तर (कक्षा-X) में विद्यार्थियों के अध्‍ययन स्‍तरों का मूल्‍यांकन करने के लिए राष्‍ट्रीय स्‍तर पर वर्ष 2015 में पहली बार राष्‍ट्रीय उपलब्‍धि सर्वेक्षण आयोजित किया गया। सर्वेक्षण में गणित, सामाजिक विज्ञान, अग्रेंजी, विज्ञान और आधुनिक भारतीय भाषाओं में विद्यार्थियों की उपलब्‍धियों का मूल्‍यांकन किया गया है। विद्यार्थियों की लेखन क्षमता का मूल्‍यांकन नहीं किया गया। मूल्‍यांकन रिपोर्ट में विभिन्‍न विषयों में विद्यार्थियों के उपलब्‍धि स्‍तर में मामूली सी अंतर-राज्‍यीय असमानता देखी गई।

(ग): राष्‍ट्रीय माध्‍यमिक शिक्षा अभियान की केन्‍द्रीय प्रायोजित योजना में 14-18 आयु समूह के सभी युवाओं के लिए माध्‍यमिक शिक्षा को अच्‍छी गुणवत्‍ता, उपलब्‍ध, सुगम और वहनीय बनाने की परिकल्‍पना की गई है।

योजना के तहत, नए सरकारी माध्‍यमिक स्‍कूलों को खोलने और मौजूदा सरकारी माध्‍यमिक स्‍कूलों के सुदृढ़ीकरण करने के साथ-साथ (i) कक्षा-कक्ष (ii) एकीकृत विज्ञान प्रयोगशाला (iii) पुस्‍तकालय (iv) कला और शिल्‍प कक्षा (v) शौचालय ब्‍लॉकों (vi) पेयजल प्रावधान (vii) मुख्‍याध्‍यापक कक्ष (viii) कार्यालय कक्ष इत्‍यादि के लिए राज्‍य/संघ-राज्‍य क्षेत्रों को वित्‍तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान सशक्तिकरण के लिए 2540 नए स्‍कूल और 7013 वर्तमान स्‍कूल संस्‍वीकृत किए गए हैं।

इसके अतिरिक्‍त, प्रत्‍येक नए/उन्‍नयन माध्‍यमिक स्‍कूलों के लिए 1 मुख्‍याध्‍यापक और 5 शिक्षकों की नियुक्‍ति का प्रावधान है और राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्रों की आवश्‍यकता के अनुसार शिक्षक-छात्र अनुपात के अनुसार अतिरिक्‍त शिक्षक भी अनुमोदित किया गया है। योजना के तहत, पिछले 3 वर्षों के दौरान शिक्षकों/मुख्‍याध्‍यापकों के 13564 पद अनुमोदित किए गए हैं। शिक्षण अध्‍ययन की गुणवत्‍ता में सुधार के लिए आरएमएसए के तहत प्रधानाध्‍यापकों/प्रचार्यों/शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण, मास्‍टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, मुख्‍य संसाधन व्‍यक्‍तियों का प्रशिक्षण, शिक्षकों के लिए प्रवेश प्रशिक्षण और प्रधानाध्‍यापकों और मुख्‍य संसाधन समूहों के नेतृत्‍व प्रशिक्षण के साथ-साथ विभिन्‍न प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षण के लिए सहायता भी प्रदान की जाती है। पिछले 3 वर्षों के दौरान 14.13 लाख शिक्षकों के प्रशिक्षण को अनुमोदित किया गया है।

इसके अतिरिक्‍त, माध्‍यमिक स्‍तर पर विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्‍ता में सुधार करने के लिए आरएमएसए के तहत प्रेरणा और जागरूकता कार्यक्रमों, उपचारात्‍मक शिक्षण, बालिकाओं के लिए आत्‍मरक्षा प्रशिक्षण, बा‍लक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग प्रसाधनों की व्‍यवस्‍था आदि जैसे अंत: क्षेपों के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, जिला स्‍तर पर विज्ञान मेला/ प्रदर्शनी और कौशल खोज और स्‍कूलों के लिए गणित एवं विज्ञान किट, छात्रों के उच्‍चतर अधिगम संस्‍थाओं में दौरों और छात्रों के अधिगम संवर्धन का भी अनुमोदन किया जाता है। मंत्रालय द्वारा शिक्षा की गुणवत्‍ता में सुधार करने के लिए ई-पाठशाला, एनआरओईआर, शाला दर्पण, शाला सिद्धी, जीआईएस मैपिंग जैसी आईसीटी पहलें भी की गई हैं।

उच्‍चतर शिक्षा के लिए विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), देश की जरूरतों और आकांक्षाओं के लिए उपयुक्‍त और वैश्विक रूझानों के अनुरूप गुणवत्‍तापरक प्रणाली विकसित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस प्रयोजन के लिए यूजीसी संसाधनों का इस प्रकार आबंटन करता है ताकि देश में उच्‍चतर शिक्षा प्रणाली का सरलीकरण और पहुंच एवं विस्‍तार, गुणवत्‍ता व उत्‍कृष्‍टता, समता एवं समावेशन, अनुसंधान व प्रासंगिकता और आईसीटी समावेशन के सिद्धांतों के साथ-साथ सुदृढ़ हो।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि उच्‍चतर शिक्षा की गुणवत्‍ता बनी रहे और यह आगे व्‍यवस्थित हो, यूजीसी ने विगत 3 वर्षों में निम्‍नलिखित विनियम अधिसूचित किए हैं जिनका अनुपालन करना देशभर के प्रत्‍येक उच्‍चतर शिक्षा संस्‍थान के लिए अनिवार्य है।

* यूजीसी (मूल्‍यांकन और प्रत्‍यायन एजेंसियों की मान्‍यता और निगरानी) विनियम, 2014
* यूजीसी (सम-विश्‍वविद्यालय संस्‍थान) विनियम, 2016

इसके अलावा, यूजीसी ने देश में अनुसंधान और विकास को प्रोत्‍साहित करने के लिए कई योजनाएं, अवार्ड, फैलोशिप, पीठ और कार्यक्रम भी निर्धारित किए हैं जिनके तहत उच्‍चतर शिक्षा संस्‍थाओं के साथ-साथ उनमें कार्यरत संकाय सदस्‍यों को लगभग सभी ज्ञान क्षेत्रों के आयामों जैसे उत्‍कृष्‍टता संभाव्‍यता विश्‍वविद्यालय योजना, विशिष्‍ट क्षेत्र उत्‍कृष्‍टता संभाव्‍यता केन्‍द्र (सीपीईपीए) योजना, विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी), बुनियादी विज्ञान शोध आदि में गुणवत्‍तापूर्ण अनुसंधान करने के लिए वित्‍तीय सहायता प्रदान की जाती है।

उपर्युक्‍त के अतिरिक्‍त, यूजीसी ने उच्‍चतर शिक्षा की गुणवत्‍ता सुधारने के लिए और वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए कई पहलें की है। हाल ही की कुछ पहलें निम्‍नलिखित है:

* यूजीसी (एम.फिल/पीएच.डी डिग्री अवार्ड न्‍यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियमन, 2016 को देश में की जाने वाली शोध प्रतिफल की गुणवत्‍ता की सख्‍त जांच के लिए अधिसूचित किया गया था। ये विनियम प्रवेश प्रक्रिया के साथ-साथ एम.फिल या पीएच.डी डिग्री अवार्ड प्रोग्रेशन में कदाचार का उन्‍मूलन सुनिश्चित करते है।
* यूजीसी (भारतीय और विदेशी शैक्षिक संस्‍थाओं के बीच शैक्षिक सहयोग के मानकों का संवर्धन और अनुरक्षण) विनियमन, 2016 अधिसूचित किए गए है। इन विनियमों की मुख्‍य विशेषताओं में से एक गुणवत्‍तायुक्‍त संस्‍थाओं के बीच दोनों ओर से सहयोग को प्रोत्‍साहित करना है।
* यूजीसी द्वारा अनुमोदित पत्रिकाओं की सूची, एपीआई अंक की गणना के उद्देश्‍य से विचार की जाने वाली अनुमोदित पत्रिकाओं की सूची की आवधिक अधिसूचना के लिए यूजीसी की हाल ही में की गई पहल है।

**\*\*\*\*\***